जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल **दिनांक – 07.04.2025**

सर्विलांस टीम एवं थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/24 व मु0अ0सं0 172/24 मे वांछित हिस्ट्रीशीटर को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.11.2024 को वादी श्री विजय पुत्र पतराम सिंह निवासी बाकरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घेर से 01 भैंसा व 01 कटरा चोरी कर लिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 171//2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त सुभान उर्फ भूरा पुत्र बाबू कुरैशी निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड के दौरान चोरी किये गए दो भैंसवंशीय पशु व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध मे थाना नांगल पर 172/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त दोनो अभियोगो मे अभियुक्त नईम उर्फ भोला पुत्र शमीम निवासी ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश मे आया। दिनांक 02.02.2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों अभियोगों में वांछित अभियुक्त नईम उर्फ भोला पुत्र शमीम निवासी ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों अभियोगो में वांछित अभियुक्त वसीम चीची पुत्र अब्दुल शमी निवासी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वसीम चीची शातिर किस्म का अपराधी है तथा थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नोट – अभियुक्त वसीम चीची का विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर एवं आसपास के जनपदों में हत्या, लूट, चोरी, गोकशी, गैंगस्टर आदि अन्य गम्भीर धाराओं में करीब 05 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसीम चीची पुत्र अब्दुल शमी निवासी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर **(H.S नं0-85(A))**

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम चीची उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 29/98 धारा 392 भादवि थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 16/00 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 164/01 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 1068/03 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 1196/04 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 58/06 धारा 307 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 686/06 धारा 307 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 621/06 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 549/07 धारा 302,394 भादवि थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 459/08 धारा 307 भादवि थाना शिवाला जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 460/08 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 413/08 धारा 457/380/511भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर
13. मु0अ0सं0 452/08 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
14. मु0अ0सं0 311/08 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
15. मु0अ0सं0 65/09 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नागंल जनपद बिजनौर
16. मु0अ0सं0 529/09 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
17. मु0अ0सं0 410/10 धारा 110(G) सीआरपीसी थाना नगीना जनपद बिजनौर
18. मु0अ0सं0 670/10 धारा 393 भादवि थाना नौगावा सादात जनपद अमरौहा
19. मु0अ0सं0 1076/10 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा
20. मु0अ0सं0 1076/10 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा
21. मु0अ0सं0 62/11 धारा 380/411 भादवि थाना स्यौहारा जनपद बिजनौर
22. मु0अ0सं0 443/12 धारा 41/102 सीआपरपीसी 413/414 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
23. मु0अ0सं0 425/12 धारा 392/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
24. मु0अ0सं0 129/12 धारा 302/201भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
25. मु0अ0सं0 309/12 धारा 395/412 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
26. मु0अ0सं0 442/12 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
27. मु0अ0सं0 445/12 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
28. मु0अ0सं0 286/12 धारा 302 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
29. मु0अ0सं0 548/12 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
30. मु0अ0सं0 190/12 धारा 224 भादवि (दिल्ली)
31. मु0अ0सं0 81/15 धारा 110 सीआरपीसी थाना नगीना जनपद बिजनौर

32. मु0अ0सं0 232/16 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
33. मु0अ0सं0 205/17 धारा 395/397 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
34. मु0अ0सं0 219/17 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
35. मु0अ0सं0 260/17 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
36. मु0अ0सं0 422/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
37. मु0अ0सं0 482/17 धारा 379ए/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
38. मु0अ0सं0 622/17 धारा 452/323/506 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
39. मु0अ0सं0 635/17 धारा 380 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
40. मु0अ0सं0 636/17 धारा 380 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
41. मु0अ0सं0 25/18 धारा 394ए/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
42. मु0अ0सं0 73/18 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
43. मु0अ0सं0 82/18 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
44. मु0अ0सं0 16/19 धारा 307 भादवि (पुलिस मुढभेड़) थाना नगीना जनपद बिजनौर
45. मु0अ0सं0 19/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
46. मु0अ0सं0 20/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
47. मु0अ0सं0 83/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
48. मु0अ0सं0 221/20 धारा 307 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
49. मु0अ0सं0 222/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
50. मु0अ0सं0 427/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
51. मु0अ0सं0 940/22 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
52. मु0अ0सं0 13/23 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
53. मु0अ0सं0 05/23 धारा 34/380/411 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
54. मु0अ0सं0 04/23 धारा 395/412/506 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलंदशहर
55. मु0अ0सं0 05/23 धारा 34/380/411 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
56. मु0अ0सं0 88/23 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना बढापुर थाना नांगल जनपद बिजनौर
57. मु0अ0सं0 171/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर
58. मु0अ0सं0 172/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना नांगल पुलिस

प्रभारी सर्विलांस मय टीम

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ दिनांक 07.04.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 90/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.03.2025 को वादी रईस अहमद पुत्र जमीर अहमद नि0 मौहल्ला बेगम सराय कस्बा अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शादाब पुत्र रफीक अहमद 2. रफीक अहमद पुत्र नामालूम 3. नदीम पुत्र शकील 4. शकील पुत्र नामलूम निवासागण मौहल्ला बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र आशु के साथ गाली गलौच व जान से मारने की नियत से उसके ऊपर चाकू से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 90/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शादाब पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। बरादगी के आधार पर अभियोग में 4/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। आवश्यक कार्यावाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शादाब पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

घटना में प्रयुक्त चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थाना प्रभारी सुमित राठी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3.मुख्य आरक्षी कलीम हसन थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
4.आरक्षी विशाल मलिक थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 07.04.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1179/2024 धारा 109(1)/115(2)/ 117(2)/ 351(2) बीएनएस में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाकं 28.02.2024 को वादी फाहद मलिक पुत्र शहजाद आलम निवासी ग्राम गजरौला शिव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र लियाकत उर्फ भूरे 2. गालिब पुत्र नजाकत निवासी ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ गजरौला शिव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी के साथ मारपीट की व जान से मारने की नियत से हमला किया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1179/24 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 115(2)/117(2)/351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित इमरान पुत्र लियाकत उर्फ भूरे निवासी ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ गजरौला शिव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इमरान पुत्र लियाकत उर्फ भूरे निवासी ग्राम मुकीमपुर धर्मसी उर्फ गजरौला शिव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। **(हिस्ट्रीशीट संख्या- 176 ए)**

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 191/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 192/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 301/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 1179/2024 धारा 115(2)/109(1)/117(2)/351(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 प्रशान्त कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मुख्य आरक्षी सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- **..2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से घटना होने के 47 दिन के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम के 02 आरोपी अभियुक्तो को 0-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 19.02.2025 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण दीपक पुत्र मुन्नू व दीपू पुत्र कृपाल निवासीगण ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने वादिया की बेटी के साथ छेडछाड व मारपीट की गयी। इस संबंध में दिनांक 19.02.2025 को थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 36/25 धारा 75/115(2) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप **घटना होने के 47 दिन के अंदर** आज दिनांक 07.04.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 36/2025 धारा 75/115(2)/352 बीएनएस व 08 पॉक्सो अधिनियम के 02 आरोपी अभियुक्तगण 1- दीपक पुत्र मुन्नू 2- दीपू उर्फ दिवेश पुत्र कृपाल उर्फ सतेन्द्र निवासीगण ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- दीपक पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

2- दीपू उर्फ दिवेश पुत्र कृपाल उर्फ सतेन्द्र निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 07.04.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने पति की हत्या करने वाली अभियुक्ता पत्नी को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दीपक कुमार पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द निवासी ग्राम मुकरन्दपुर पोस्ट झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर रेलवे मे टेक्नीशियन के पद पर रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर नियुक्त था और करीब डेढ माह से अपनी पत्नी शिवानी व छः माह के पुत्र के साथ कस्बा नजीबाबाद के मौहल्ला आदर्शनगर में किराये पर निवास कर रहा था।

दिनांक 04.04.2025 को समय करीब 13.00 बजे दीपक उपरोक्त की पत्नी शिवानी ने दीपक के भाई मुकुल उर्फ पीयूष कुमार को फोन करके बताया कि दीपक कुमार को दिल का दौरा पड गया है, जिसे सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु ले गये, जहाँ डाक्टर द्वारा दीपक उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कायर्वाही के उपरान्त शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक दीपक कुमार उपरोक्त की मृत्यु गला दबाने से पायी गयी। घटना के सम्बंध में वादी मुकुल उर्फ पीयूष कुमार पुत्र स्व0 श्री सुभाषचन्द निवासी ग्राम मुकरन्दपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाने पर तहरीर दी कि उसके भाई की मृत्यु में उसकी भाभी शिवानी व किसी अज्ञात व्यक्ति का हाथ है। इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 115/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम शिवानी व अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता शिवानी उर्फ जूली पुत्री नरेन्द्र शर्मा उर्फ नन्हे निवासी ग्राम चौहडपुर थाना नहटौर जनपद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्ता शिवानी उर्फ जूली से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि शिवानी और दीपक के बीच लगभग 05 – 06 वर्ष से प्रेम प्रसंग था। वर्ष 2021 मे दीपक सीआरपीएफ मे भर्ती हो गया था, जिस कारण उसके परिवार वाले दीपक से शादी करने से मना करते थे। करीब 02 साल पहले दीपक की रेलवे विभाग मे टैक्नीशियन के पद पर नौकरी लग गई थी तथा नजीबाबाद मे पोस्टिंग हो गई थी, तब जनवरी – 2024 में शिवानी व दीपक की शादी हुई थी, जिससे उसे एक बेटा पैदा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 06 माह है। शिवानी अपनी ससुराल में नही रहना चाहती थी और इसी बात को लेकर उसका अपनी सास व पति से झगडा होता रहता था। शिवानी के दबाव बनाने पर दीपक ने लगभग डेढ माह पहले मौ0 आदर्शनगर में किराये पर कमरा लिया था तथा अपने पति एवं बच्चे के साथ मौ0 आदर्शनगर मे ही रहने लगी थी। दीपक को शक था कि शिवानी के सम्बंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ है, जिस कारण शिवानी उसकी बात नहीं मानती है। दीपक (मृतक), शिवानी को ससुराल में ही रहने के लिये कहता था, जिस कारण दोनो में अक्सर लडाई-झगडा व मारपीट होती थी।

दिनांक 04.04.2025 को दीपक ने शिवानी को गांव में चलने के लिये कहा तथा इसी को लेकर दोनो में झगडा हुआ। इसी बात को लेकर शिवानी ने दीपक की हत्या कर उसकी नौकरी हडपने की योजना बनायी। जब कभी दीपक डबल ड्यूटी करके आता था तो सोने के लिए नींद की दवाई ले लेता था, जो उसके बैग मे ही रखी रहती थी। दिनांक 04.04.2025 की सुबह शिवानी ने दीपक के बैग से उसकी नींद की 04 टैबलेट निकालकर व्रत में खाने के मखाने व पापड के समय चाय मे घोलकर दीपक को पिला दी। दीपक पूजा के लिए बैठा तथा नशे मे होकर पीछे गिर गया तो शिवानी ने दीपक के सीने पर बैठकर दीपक का अपने हाथो से गला दबा दिया जिससे दीपक की मौके पर मृत्यु हो गई। घटना को छिपाने के उद्देश्य से करीब आधे घण्टे बाद शिवानी ने शोर मचाते हुए अपनी मकान मालकिन को बुलाया और बहाना बनाया कि दीपक बैठे बैठे बेहोश हो गये है, जोकि कुछ देर पहले सीने मे दर्द बता रहे थे तो उसने गर्म पानी पीने के लिए दिया था। दीपक को दिल का दौरा पड गया है। इसके बाद शिवानी ने दीपक के परिजन, रिश्तेदार व स्टाफ के लोगों को फोन करके बता दिया कि दीपक को दिल का दौरा पडा है, जिससे दीपक की मृत्यु हो गयी है। किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीपक की मृत्यु का कारण गला दबने से होना पाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

शिवानी पुत्री नरेन्द्र उर्फ नन्हे निवासी ग्राम चौहडपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

04 एलपरेड नींद की गोलिया मय रेपर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.हे0का0 497 भारत मलिक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.हे0का0 403 अनिल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.म0का0 211 सीमा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.म0का0 2361 प्रीति थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5.का0 994 गौरव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 07.04.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 128/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तगण को घटना मे प्रयुक्त अवैध शस्त्रो सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.04.2025 को वादी युसुफ उर्फ सोनू पुत्र लतीफ निवासी ग्राम पूरनपुर नगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि उसके गांव का ही निवासी अभियुक्त सफीक पुत्र यामीन उसके साथ रंजिश रखता तथा दिनांक 06.04.2025 को उसके द्वारा वादी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी तथा आज दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त सफीक द्वारा अभियुक्तगण 1.फरदीन पुत्र नफीस, 2.हारून पुत्र फारूख निवासीगण ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 3.दीक्षित पुत्र परवेन्द्र निवासी ग्राम शाहपुर खेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, 4.कार्तिक पुत्र रवि निवासी ग्राम खानपुर बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 5.मोनिस व 6.अभिषेक निवासी ग्राम सेह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर जिनमे अभियुक्तगण फरदीन व हारून उपरोक्त के पास अवैध तमन्चे तथा अन्य अभियुक्तो के पास लाठी-डन्डे थे, को वादी को जान से मारने की नियत से वादी के घर पर भेजा जिनके द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फरदीन पुत्र नफीस उपरोक्त को एक तमन्चा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व अभियुक्त हारून पुत्र फारूख उपरोक्त को एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.फरदीन पुत्र नफीस निवासी ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.हारून पुत्र फारूख निवासी ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना नूरपुर पुलिस

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 07.04.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 452/307/504 भादवि व 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 10,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 25.09.2017 को वादी श्री इमरान पुत्र हनीफ निवासी मौ0 इरशाद कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि फुरकान पुत्र नफीस उर्फ नब्बू निवासी ग्राम सहसपुर रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने पूर्व में बच्चो में हुए विवाद को लेकर दिनांक 23.09.2017 को गाली – गलौच करते हुए वादी की पत्नी के सिर में गोली मार दी, जिससे वादी की पत्नी गम्भीर रुप से घायल हो गयी। इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 905/17 धारा 452/307/504 भादवि पंजीकृत किया गया है। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश – 03 / एनडीपीएस एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 452/307/504 भादवि व 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त फुरकान पुत्र नफीस उर्फ नब्बू निवासी ग्राम सहसपुर रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

फुरकान पुत्र नफीस उर्फ नब्बू निवासी ग्राम सहसपुर रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर